

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] No. 653] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 727(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकयों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसके पश्चात् ''विभाग'' कहा गया है), दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु पेनलित प्रशिक्षण भागीदारों (जिसे इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसियां कहा जाएगा) के माध्यम से दिव्यांगजनों (जिसे इसके पश्चात् फायदाग्रही कहा जाएगा) को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम (सिपडा) (जिसे इसके पश्चात् योजना कहा गया है) के अधीन दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है।

और, इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजनों को नकद फायदे अर्थात् परिवहन लागत, आवास और भोजन लागत, सुविधा लागत, नियोजन के पश्चात् सहायता लागत आदि (स्कीम के सिन्नियमों के अनुसार यथा लागू)(जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा गया है) और सेवाएं अर्थात् कौशल प्रशिक्षण (जिसे इसके पश्चात् ''सेवाएं'' कहा गया है), में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।
 - (2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि

1228 GI/2017 (1

आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस—पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रिजस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रिजस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात् :—

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
 - (ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति: और
- (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र; और
- (ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:
 - (i) मतदाता पहचान-पत्र; या
 - (ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन) कार्ड, या
 - (iii) पासपोर्ट; या
 - (iv) राशन-कार्ड; या,
 - (v) कर्मचारी का सरकारी पहचान-पत्र; या
 - (vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
 - (vii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति / जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए किया गया फोटो पहचान—पत्र; या
 - (viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फोटो पहचान-पत्र; या
 - (ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या
 - (x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान–पत्र या
 - (xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:--
- (क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के

अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू—कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

> [फा. सं 17–22(1) / 2016–छात्रवृत्ति] डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)] NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 727(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, bring in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as Department), Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing the National Action Plan for Skill Training of Persons with Disabilities under the Central Sector Scheme for Implementation of Persons with Disability Act, 1995 (SIPDA) (hereinafter referred to as the Scheme) for providing skill training to persons with disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) through Empanelled Training Partners (hereinafter referred to as implementing agencies);

And whereas, under the said Scheme, cash benefits namely, transport cost, boarding and lodging cost, conveyance cost, cost for post placement support etc. (whichever is applicable as per norms of the Scheme) (hereinafter referred to as benefits) and services, namely, skill training (hereinafter referred to as services) provided to the persons with disabilities by the implementing agencies involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- 1. (1) An individual eligible to receive the benefits or services under the said Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) An individual entitled to receive the benefits or services under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits or services under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities through its implementing agencies for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits or services under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

- (a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

- (b) Disability certificate issued by the competent authority; and
- (c) Any one of the following documents:-
 - (i) Voter identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or (viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle benefits or services under the Scheme to the beneficiaries, the Department shall make all the required arrangements including the following, namely:-
- (a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.
- (b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the concerned agencies or through the web portal provided for the purpose.
- 3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17-22(1)/2016-Sch.]

DOLLY CHAKARABARTY, Jt. Secy.